

संचिका संख्या-01/C.L.-10-05/2026, अ०सं०....5007
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
समस्तीपुर, बक्सर, लखीसराय एवं सारण (छपरा)।

पटना, दिनांक- 20/8/26

विषय:- विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-12 जून, 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रु० 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से षष्ठम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेंगे। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि बाल श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

सम्प्रति कतिपय कारणों से CLTS पोर्टल के क्रियाशील नहीं रहने के कारण विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों का विवरण पोर्टल में अपलोड नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने तक सभी पात्र विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों को जिलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर रु० 25,000/- के Annuity Scheme का लाभ इस शर्त के साथ दिया जाय कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने पर बाल/किशोर श्रमिकों से संबंधित सभी आवश्यक प्रविष्टियाँ अविलम्ब कर ली जायेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	बाल श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन/एफ०आई०आर०
1	समस्तीपुर	---	Md. Rasid	08.01.2026	18/2026
2		---	Sunil Kumar	10.02.2026	33/2026
3		---	Md. Aarif	08.01.2026	18/2026
4		---	Vikram Kumar	26.05.2026	206/2026
5	बक्सर	---	Mohammad Janat	10.06.2026	151/26
6	लखीसराय	---	श्रीराम कुमार	28.11.2025	424/25
7		---	नागी कुमार	20.12.2025	545/25
8		---	मो० सोहेल	24.03.2026	79/26
9	सारण, छपरा	---	Vinit Kumar	22.03.2026	169/2026
10		---	Chirag Mahto urf Chirag Kumar	21.05.2026	211/2026
11		---	Sajid Khan	28.03.2026	260/2026
12		---	Badal Kumar	08.01.2026	17/2026

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से @25,000/- प्रति बाल श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	बाल श्रमिकों की संख्या	बाल श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रुपये में	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अध्याचना का विवरण
समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	363103 25668	SBIN000174	4	04@25000	1,00,000/-	पत्रांक-1619, दिनांक-10.08.2026
बक्सर	जिला पदाधिकारी, बक्सर	364590 69351	SBIN0000051	1	01@25000	25,000/-	पत्रांक-797, दिनांक-01.08.2026
लखीसराय	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	363728 97690	SBIN0002968	3	03@25000	75,000/-	पत्रांक-684, दिनांक-14.08.2026
सारण (छपरा)	जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा)	362464 35583	SBIN0016621	4	04@25000	1,00,000/-	पत्रांक-1745 दिनांक-07.08.2026
कुल				12	12@25000	3,00,000 /-(तीन लाख हजार)	

अतः अनुरोध है कि उपलब्ध करायी जा रही राशि से सत्यापित, अध्याचित एवं CLTS Software में दर्ज पात्र बाल श्रमिक को ही लाभ दिया जाय एवं लाभ देने के उपरांत साक्ष्य सहित प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त बाल श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन

4/12/26
(राजेश भारती)

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/C.L.-10-05/2026, श्र०सं०.....5007

पटना, दिनांक- 20/8/26

प्रतिलिपि:-श्रम अधीक्षक/श्रम अधीक्षक (अधिनियम), समस्तीपुर, बक्सर, लखीसराय एवं सारण (छपरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त बाल श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिलाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/C.L.-10-05/2026, श्र०सं०.....5007

पटना, दिनांक- 20/8/26

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/C.L.-10-05/2026, श्र०सं०.....5007

पटना, दिनांक- 20/8/26

प्रतिलिपि:-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन, शाखा बेली रोड, पटना।

आपको निदेश दिया जाता है कि आप Secretary to Labour Commissioner के खाता सं०-36274069859 को उपरोक्त विवरणी के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से राशि को Debit कर संबंधित खातों में Credit किया जाय।

(गणेश कुमार झा)

श्रमायुक्त के सचिव